(161)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2111–तीन/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–08–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 540/अपील/2002–03

.....

1– रामाश्रय तनय गिलई नाई

2– रामफल तनय सुग्रीव नाई

निवासीगण–ग्राम अंटरिया, तहसील सिरमौर

जिला–रीवा(म0प्र0)

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामनरेश तनय सुग्रीव
2– विश्राम तनय सुग्रीव
3– दूदन तनय
4– गणेश तनय
5– राजेन्द्र तनय केदार
6– राजेश तनय दूदन
7– मनभुवन तनय गणेश
8– संदीप तनय रामनरेश

निवासीगण–ग्राम अंटरिया, तहसील सिरमौर
जिला–रीवा(म0प्र0)

——— अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/8/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 08–08–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकों द्वारा ग्राम अंटरिया की भूमि सर्वे नं0 207, 256, 672, 35, 36, 37, 38 एवं 39 के 1/2 में पुराने कब्जे के आधार पर कब्जा दर्ज किये जाने हेतु नायब तहसीलदार सेमरिया के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31.10.2002 के द्वारा आवेदकगण का आवेदन अमान्य किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रकरण क्रमांक 29/अ–66/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2003 को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। जहां अपर आयुक्त रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2003 विधिसंगत न मानते हुये निरस्त किया तथा दिनांक 08.08.2006 से अपील स्वीकार की । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्को पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक रामाश्रय ने ग्राम अंटरिया की भूमि सर्वे नं0 207, 256, 672, 35, 36, 37, 38 एवं 39 के 1/2 भाग पर अपना कब्जा दर्ज किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र नायब तहसीलदार सिरमौर के समक्ष प्रस्तुत किया । जबकि अनावेदकों को उक्त भूमि 40 वर्ष पूर्व ही आपसी हिस्सेबांट में प्राप्त हुई थी, जिसमें वे पूर्व से काबिज थे। इसीकारण नायब तहसीलदार ने पटवारी प्रतिवेदन को अमान्य कर आवेदकों का आवेदन निरस्त किया । नायब तहसीलदार के आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती। चूँकि आवेदकगण ने विचारण न्यायालय में प्रश्नाधीन आराजियों के 1/2 भाग पर कब्जा दर्ज करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। कब्जा दर्ज करने संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता में निहित नहीं है। आवेदकगण चाहे तो स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। इसी कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के त्रुटिपूर्ण

आदेश को निरस्त कर नायब तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 08.08.2006 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर